बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक सं0–04/पौ0सं0यो0–306/2024 – पी0पी0एम0-85- /कृ0 पटना दिनांक, 11/07/ 2024

प्रेषकः–

मनोज कुमार
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)
अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग, बिहार, पटना (+)

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Schems) (60:40) अन्तर्गत पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना हेतु कुल 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख) रूपये {केन्द्रांश 242.4 लाख (दो करोड़ बयालीस लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 161.6 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख साठ हजार) रूपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Schems) (60:40) अन्तर्गत पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना हेतु कुल 404.00 लाख (चार करोड़ चार लाख) रूपये {केन्द्रांश 242.4 लाख (दो करोड़ बयालीस लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 161.6 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख साठ हजार) रूपये के लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में किया जायेगा।
3. पौधा संरक्षण के विभिन्न जैविक कारकों यथा कीटों, खरपतवारों, फफूँद, जीवाणु एवं विषाणु इत्यादि के कारण सालाना 30%–35% तक फसलों में क्षति होती है। राज्य में किसानों के पास पारम्परिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर इत्यादि छिड़काव/भुरकाव यंत्र उपलब्ध है। किसानों को कीटनाशियों के सही प्रयोग एवं उनके दुष्प्रभाव संबंधी जानकारी का अभाव है, जिसके फलस्वरूप छिड़काव के क्रम में कीटनाशक, समय, पानी, श्रम एवं पूँजी इत्यादि की बर्बादी हो रही है। विदित हो कि वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित/रिमोट द्वारा संचालित छिड़काव यंत्र का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य कृषि संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। उक्त कारणों से राज्य के सभी जिलों में ड्रोन द्वारा फसलों में कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव को बढावा देने हेतु इस योजना को लिया जा रहा है, जिससे कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट/व्याधि/खरपतवार नियंत्रण किया जा सकेगा ।

4. **योजना सम्बंधित घटकवार विवरण निम्नवत है :–**
   I. कृषि में उपयोगी मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के क्रय पर अनुदान।
   II. चयनित लाभार्थियों का ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र हेतु प्रशिक्षण।

5. **कृषि में उपयोगी मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के क्रय पर अनुदान।**

5.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमंडल हेतु एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2 इस योजना हेतु कोई भी किसान/खेतीबारी कृषि क्लिनिक संस्थापक/कृषि यंत्र बैंक/स्वयं सहायता समूह (SHG)/अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी बिक्रेता/किसान उत्पाद संगठन (FPO)/स्वयं सेवी संस्था (NGO)/निजी संस्था/रजिस्टर्ड कम्पनी आदि पात्र होंगे।

5.3 मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के क्रय पर अनुदान हेतु आवेदन कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा।

5.4 ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का जिला स्तरीय गठित कमिटी के स्तर से अनुमंडलवार लॉटरी कर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।

5.5 ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का लॉटरी हेतु तिथि एवं समय का निर्धारण जिला स्तरीय गठित कमिटी द्वारा पूर्व में ही किया जायेगा।

5.6 स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के उपरांत आवेदक स्वीकृति पत्र में अंकित मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन का क्रय कृषि विभाग द्वारा Enlisted अधिकृत बिक्रेताओं में से अपनी पसंद तथा कीमत का मोल–भाव कर स्वीकृति पत्र में अंकित निर्धारित तिथि के अन्दर कर सकेंगे। विभाग द्वारा सूचीबद्ध ड्रोन बिक्रेताओं का एकारनामा संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना के साथ किया जायेगा। आवेदक के द्वारा ड्रोन के क्रय का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.65 लाख रूपये के अतिरिक्त शेष राशि का भुगतान कर ड्रोन का क्रय किया जायेगा एवं अनुदान की राशि सम्बंधित कम्पनी/बिक्रेता के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से ट्रांसफर किया जायेगा।

5.7 ड्रोन बिक्रेता द्वारा कृषक को विक्रय की गई यंत्र की सम्पूर्ण राशि का बिल ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा। बिल में ड्रोन के मेक वर्ष, मॉडल एवं इंजन न०/चेनिस न०/सीरियन नं०/बैच नं० का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। बिक्रेता द्वारा ड्रोन की आपूर्ति के उपरान्त यह सम्बंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के लॉगिन आई०डी० में भौतिक सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा आवेदक के समस्त विवरण एवं बिल में उल्लेखित सामग्री का भौतिक रूप से मशीनों के साथ मिलान कर आवेदक, स्वयं एवं मशीन का फोटो वेब पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। भौतिक सत्यापन के उपरांत मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन पर अनुदान का दावा पत्र सम्बंधित सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा ऑनलाइन सृजित कर मूल अभिश्रव के साथ कार्यालय में समर्पित किया जायेगा, जिसका संधारण कार्यालय के योजना सहायक द्वारा किया जायेगा। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा अनुदान की राशि का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से 03 दिनों के अन्दर संबंधित बिक्रेता के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा। साथ ही अनुदान भुगतान के पश्चात् सहायक निदशक पौधा संरक्षण द्वारा अनुदान राशि का विस्तृत ब्यौरा निश्चित रूप से कृषि विभागीय सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा।

5.8 लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नं० एवं यंत्र आपूर्ति का वित्तीय वर्ष यंत्र आपूर्ति के समय आपूर्ति यंत्र पर इन्ग्रेब्ड करना अनिवार्य रूप से संबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्ता/बिक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। रजिस्ट्रेशन नं० एवं यंत्र आपूर्ति वित्तीय वर्ष इन्ग्रेब्ड किये बिना ड्रोन के क्रय पर अनुदान देय नहीं होगा। इन्ग्रेब्ड इस प्रकार का होना चाहिए जो अमिट हो तथा किसी

भी समय जाँच हेतु पठनीय हो। इन्ग्रेभ्ड यंत्र के मुख्य हिस्से में करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर संबंधित कर्मी/पदाधिकारी/बिक्रेता/आपूर्तिकर्ता/किसान के विरूद्व विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5.9 ड्रोन की अधिप्राप्ति कृषि निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं/बिक्रेता से की जायेगी। आवेदक उक्त सूची से अपनी पंसद अनुसार किसी भी ब्राण्ड का ड्रोन लेने के लिए स्वतंत्र है तथा ड्रोन के क्रय पर वित्तीय सहायता हेतु केवल वही यंत्र वैध होंगे जो भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थानों से परीक्षित एवं प्रमाणित होंगे तथा DGCA द्वारा TYPE Certified होंगे।

5.10 कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के क्रय हेतु सूचीबद्ध बिक्रेता/निर्माता से क्रय पर ही लाभार्थी अनुदान हेतु पात्र होंगे।

5.11 डी0जी0सी0ए0 द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रयोग हेतु निबंधित ड्रोन (Small category) का ही क्रय लाभार्थी द्वारा किया जायेगा।

5.12 चयनित लाभार्थीयों द्वारा डी0जी0सी0ए0 द्वारा अनुशंसित ड्रोन क्रय का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन संबंधित जिले के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, द्वारा करना अनिवार्य होगा।

5.13 ड्रोन के क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.65 लाख रूपये प्रति ड्रोन का सहायता अनुदान संबंधित एजेंसी के खाता में पी0एफ0एम0एस के माध्यम से देय होगा।

5.14 चयनित लाभार्थीयों का ड्रोन पायलेट प्रमाण पत्र हेतु प्रशिक्षण डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त संस्थान के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण मॉडयूल के तर्ज पर किया जायेगा।

5.15 ड्रोन पायलट कीटनाशी के प्रयोग एवं दुष्प्रभाव से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण NIPHM राजेन्द्र नगर, हैदराबाद के द्वारा विकसित MODULE के अनुसार प्राप्त किये होगें।

5.16 ड्रोन पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0) द्वारा रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिर्वायता होगी। डी0जी0सी0ए0 द्वारा निबंधित ड्रोन का ही कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

5.17 प्रशिक्षण में व्यय होने वाली राशि का भुगतान संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से देय होगा।

5.18 यदि किसी जिले के अनुमंडल के सभी प्रखंड डी0जी0सी0ए0 द्वारा रेड जोन क्षेत्र में चिन्हित है ऐसी स्थिति में उक्त अनुमंडल के लक्ष्य को जिले के अन्य अनुमंडल अथवा अन्य जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।

5.19 वित्तीय वर्ष 2024–25 में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) के क्रय का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **अनुसूची 01** एवं जिलावार, कोटिवार एवं पदाधिकारीवार **अनुसूची 02** में संलग्न है।

अन्य शर्ते :–

6. ड्रोन परिचालन हेतु Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराये बिना संचालन नही किया जा सकेगा।

7. सभी ड्रोन पायलट को ड्रोन परिचालन हेतु Digital Sky Platform पर Form- D-2 के माध्यम से ऑनलाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के उपरान्त आवेदक को 01 विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जायेगी।

8. नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्गत ड्रोन नियम 2021, ड्रोन (संशोधन) नियम 2022 तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा ड्रोन के परिचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) परिचारित है जिसका शत प्रतिशत अनुपालन किया जाना है। साथ ही गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र– PR NO. 005489 (Home) 2023-24 द्वारा भी राज्य में ड्रोन संचालन हेतु निदेश प्रकाशित है जिनके प्रावधानों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. भारत सरकार के अर्द्ध–सरकारी पत्र संख्या–13–22/2023-PC दिनांक–14.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 77.68 करोड़ रू० संभावित उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के पश्चात् समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

10. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA) के रूप में कृषि निदेशक, बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण Implementing Agency का दायित्व का निवर्हन करेगें।

11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में स्वीकृत राशि के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित बैंक खाता में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि 60 प्रतिशत समानुपातिक राज्यांश 40 प्रतिशत की राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर PFMS पोर्टल में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग–अलग संधारित की जायेगी। सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के द्वारा Implementing Agency के लिए निर्धारित स्वीकृत राशि के अधीन समय–समय पर व्यय अधिसीमा निर्धारित कर राशि का व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना से अधियाचना प्राप्त होने पर सींगल नोडल एजेन्सी (SNA) द्वारा संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण बिहार, पटना को राशि कर्णांकित की जायेगी। व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि निदेशक, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

13. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–07.03.2024 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

14. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

15. योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

16. प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अन्दर यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

17. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। PFMS के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा।

18. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

19. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट उपबंध के अनुसार सामान्य वर्ग में 82.80 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग में 15.91 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में 1.29 प्रतिशत राशि कर्णांकित है।

20. केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के लिए बजट शीर्ष का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाख रू0 में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)			
	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष –00 –लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण – मांगसं०–01,उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्र कोड–01–2401001090216, पी० एफ०एम०एस० कोड–9145,विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0216–31– 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7025.93	200.70720
(ii)	मुख्य शीर्ष2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांगसं०–01,उपशीर्ष–0203– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड –01–2401007890203,पी० एफ०एम०एस०कोड– 9145, विषय शीर्ष– 31– सहायता अनुदान–0203–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1686.43	38.56584
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष –00–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना – मांग सं०–01 ,उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड –01–2401007960231, पी०एफ०एम० एस०कोड–9145, विषय शीर्ष–31– सहायता अनुदान– 0231 – 31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	126.39	3.12696
	योग	**8838.75**	**242.4000**
2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)			
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–01, उपशीर्ष–0316– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401001090316,पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान – 0316 –31 – 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1532.64	133.80480
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष– 00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांगसं० –01,उपशीर्ष–0303– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड–01– 2401007890303, पी० एफ०एम० एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–31– सहायता अनुदान– 0303 –31 –06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	491.57	25.71056

(iii)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांगसं०–01,उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर० के० वी० वाई०)(ए०सी०ए०), विपत्रकोड –01– 2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–31–सहायताअनुदान–0331–31–06 सहायक अनुदान –गैर वेतन	29.41	2.08464
	योग	**2053.62**	161.6000
	सकल योग (i+ii)	**10892.37**	**404.0000**

21. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश) मद के सभी श्रेणियों में उपबंधित राशि उपलब्ध नहीं है। प्रथम अनुपूरक आगणन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश) मद में राशि प्राप्ति पश्चात ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

22. योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक यो0–06/7(लो0वि0स0)–01/2017–160 लो0वि0 / यो0वि0पटना, दिनांक 27.05.2024 के आलोक में योजनान्तर्गत संभावित मानव दिवस निम्नलिखित है :–

क्र0	ड्रोन की संख्या	मानव बल प्रति ड्रोन (तीन मानव बल प्रति ड्रोन)	न्युनतम कार्य दिवस प्रति माह	मानव दिवस (5 माह X कार्य दिवस X ड्रोन की संख्या X मानव बल)
1.	101	303	10	15150

23. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017. में निहित प्रावधान के आलोक में योजना कार्यान्वयन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या –04/पौ0सं0यो0–306/2024 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–17/टि0 पर दिनांक–05.07.2024 को प्राप्त है।

24. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

25. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/पौ0सं0यो0–306/2024 के टिप्पणी पृष्ठ–23/टि0 पर दिनांक–09.07.2024 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–496 दिनांक–09.07.2024 है।

ह0/- 10/7/24
(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0–306/2024–पी0पी0एम0–85– /कृ० पटना दिनांकः 11/07/ 2024

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एंव ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/7/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0–04/पौ0सं0यो0–306/2024–पी0पी0एम0–85– /कृ० पटना दिनांकः 11/07/ 2024

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/7/24
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\PPM\Yojna 24-25\RAMNARAYAN\RKVY-Drone scheme (404.00 Lakh).doc

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0यो0—306 / 2024-पौ0सं0उमा0 - 85 - / कृ० पटना दिनांकः 11/07/ 2024

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/7/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक सं0—04 / पौ0सं0यो0—306 / 2024-पौ0सं0उमा0 - 85 - / कृ० पटना दिनांकः 11/07/ 2024

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण / सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण / बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/24

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

D:\PPM\Yojna 24-25\RAMNARAYAN\RKVY-Drone scheme (404.00 Lakh).doc

अनुसूची– 01

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

क0 सं0	मुख्यालय/जिला कार्यालय का नाम	प्रखंड की संख्या	अनुमंडल की संख्या	ड्रोन के क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.65 लाख प्रति ड्रोन		ड्रोन पायलेट के प्रशिक्षण हेतु @ 35000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी		सकल योग
				भौतिक संख्या	वित्तीय (लाख रू0 में)	भौतिक संख्या	वित्तीय (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
1	पटना	23	6	6	21.9000	0	0	21.90000
2	नालन्दा	20	3	3	10.9500	0	0	10.95000
3	भोजपुर	14	3	3	10.9500	0	0	10.95000
4	रोहतास	19	3	3	10.9500	0	0	10.95000
5	बक्सर	11	2	2	7.3000	0	0	7.30000
6	कैमूर	11	2	2	7.3000	0	0	7.30000
7	गया	24	4	4	14.6000	0	0	14.60000
8	जहानाबाद	7	1	1	3.6500	0	0	3.65000
9	अरवल	5	1	1	3.6500	0	0	3.65000
10	नवादा	14	2	2	7.3000	0	0	7.30000
11	औरंगाबाद	11	2	2	7.3000	0	0	7.30000
12	भागलपुर	16	3	3	10.9500	0	0	10.95000
13	बांका	11	1	1	3.6500	0	0	3.65000
14	बेगुसराय	18	5	5	18.2500	0	0	18.25000
15	खगड़िया	7	2	2	7.3000	0	0	7.30000
16	मुंगेर	9	3	3	10.9500	0	0	10.95000
17	जमुई	10	1	1	3.6500	0	0	3.65000
18	लखीसराय	7	1	1	3.6500	0	0	3.65000
19	शेखपुरा	6	1	1	3.6500	0	0	3.65000
20	सारण	20	3	3	10.9500	0	0	10.95000
21	सिवान	19	2	2	7.3000	0	0	7.30000
22	गोपालगंज	14	2	2	7.3000	0	0	7.30000
23	मुजफ्फरपुर	16	2	2	7.3000	0	0	7.30000
24	वैशाली	16	3	3	10.9500	0	0	10.95000
25	सीतामढ़ी	17	3	3	10.9500	0	0	10.95000
26	शिवहर	5	1	1	3.6500	0	0	3.65000
27	पूर्वी चम्पारण	27	6	6	21.9000	0	0	21.90000
28	पश्चिमी चम्पारण	18	3	3	10.9500	0	0	10.95000

वित्तीय वर्ष 2024–25 में पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

क्र0 सं0	मुख्यालय/जिला कार्यालय का नाम	प्रखंड की संख्या	अनुमंडल की संख्या	ड्रोन के क्रय मूल्य का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.65 लाख प्रति ड्रोन		ड्रोन पायलेट के प्रशिक्षण हेतु @ 35000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी		सकल योग
				भौतिक संख्या	वित्तीय (लाख रू0 में)	भौतिक संख्या	वित्तीय (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	13
29	दरभंगा	18	3	3	10.9500	0	0	10.95000
30	मधुबनी	21	5	5	18.2500	0	0	18.25000
31	समस्तीपुर	20	4	4	14.6000	0	0	14.60000
32	सहरसा	10	2	2	7.3000	0	0	7.30000
33	सुपौल	11	4	4	14.6000	0	0	14.60000
34	मधेपुरा	13	2	2	7.3000	0	0	7.30000
35	पूर्णियाँ	14	4	4	14.6000	0	0	14.60000
36	किशनगंज	7	1	1	3.6500	0	0	3.65000
37	अररिया	9	2	2	7.3000	0	0	7.30000
38	कटिहार	16	3	3	10.9500	0	0	10.95000
39	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,बिहार, पटना					101	35.3500	35.35000
कुल योग		534	101	101	368.6500	101	35.3500	404.00000

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

अनुसूची– 02

वित्तीय वर्ष 2024–25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत (DPR) पोपुलराइजेसन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना का जिलावार,कोटिवार एवं पदाधिकारीवार व्यय विवरणी (राशि–लाख रू0 में)

क्र0 सं0	व्ययन पदाधिकारी	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल
		सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	केन्द्रांश योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	राज्यांश योग	
1	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	10.87992	2.09057	0.16951	13.14000	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	21.90000
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,नालन्दा	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,भोजपुर	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,रोहतास	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,बक्सर	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,कैमूर	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण,गया	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	4.83552	0.92914	0.07534	5.84000	14.60000
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अरवल	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
10	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नवादा	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बांका	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगुसराय	9.06660	1.74215	0.14126	10.95000	6.04440	1.16143	0.09417	7.30000	18.25000
15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, खगड़िया	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुंगेर	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जमुई	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सारण	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सिवान	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गोपालगंज	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, वैशाली	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सीतामढ़ी	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शिवहर	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण	10.87992	2.09057	0.16951	13.14000	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	21.90000
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पश्चिमी चम्पारण	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, दरभंगा	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	9.06660	1.74215	0.14126	10.95000	6.04440	1.16143	0.09417	7.30000	18.25000
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, समस्तीपुर	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	4.83552	0.92914	0.07534	5.84000	14.60000
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सहरसा	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सुपौल	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	4.83552	0.92914	0.07534	5.84000	14.60000
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधेपुरा	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ	7.25328	1.39372	0.11300	8.76000	4.83552	0.92914	0.07534	5.84000	14.60000
36	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, किशनगंज	1.81332	0.34843	0.02825	2.19000	1.20888	0.23229	0.01883	1.46000	3.65000
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अररिया	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	2.41776	0.46457	0.03767	2.92000	7.30000
38	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	5.43996	1.04529	0.08475	6.57000	3.62664	0.69686	0.05650	4.38000	10.95000
39	संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना	17.56188	3.37451	0.27361	21.21000	11.70792	2.24967	0.18241	14.14000	35.35000
	कुल योग	200.70720	38.56584	3.12696	242.40000	133.80480	25.71056	2.08464	161.60000	404.00000

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना